

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

JCMS NO - 2016/00057

प्रकरण संख्या -118/2016 (आवन्तन निरस्तीकरण)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा।

—प्रार्थी.

बनाम

श्री रमेशचन्द आत्मज कालूनाथ जाति नाथ निवासी मुडिया तहसील
रामगंजमण्डी जिला कोटा

—अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम
14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण

उपस्थित—

श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक -10/11/2020

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, रामगंजमण्डी (भूमिधारी) ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थी श्री रमेशचन्द आत्मज कालूनाथ जाति नाथ निवासी मुडिया को ग्राम मुडिया की आराजी खसरा नम्बर 493/627 रकबा 0.16 हे०, 524 रकबा 0.16 हे०, व ख०नं० 602 रकबा 0.06 हे० कुल 0.38 हे० दिनांक 02.12.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गयी थी। अप्रार्थी वर्तमान में राजस्व रेकार्ड अनुसार गैर खातेदार दर्ज है तथा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अप्रार्थी का कब्जा नहीं है। आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने से आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवंटन की शर्तों का पालन नहीं करने से उक्त आवंटन नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध आवंटन नियम 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर आवंटन निरस्त फरमावे।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस जर्गे चस्पांदगी के दौ गवाहों के सामने तामिलसुदा प्राप्त हुआ किन्तु आवंटि बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीया को ग्राम मुडिया की खसरा नम्बर 493/627 रकबा 0.16 हे०, 524 रकबा 0.16 हे०, व ख०नं० 602 रकबा 0.06 हे० कुल 0.38 हे० भूमि नोन कमाण्ड क्षेत्र में दिनांक 2.12.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटि द्वारा आवंटन शर्तों की



पालना में उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया गया जो आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन होने से अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावे ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया । चूंकि अप्रार्थी को कई बार नोटिस जारी किये गये जो उनको चम्पादगी से दौ गवाहों की मौजूदगी में तामिल हुए इसके उपरान्त भी अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ तथा अप्रार्थी आवंटी को ग्राम मुडिया की खसरा नम्बर 493/627 रकबा 0.16 हे0, 524 रकबा 0.16 हे0, व ख0नं0 602 रकबा 0.06 हे0 कुल 0.38 हे0 भूमि नोन कमाण्ड क्षेत्र में दिनांक 02.12.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया गया था । किन्तु आवंटी द्वारा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया जाने से आवंटन निरस्त योग्य प्रतीत होता है ।
5. परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । ग्राम मुडिया तहसील रामगंजमण्डी की भूमि खसरा नम्बर 493/627 रकबा 0.16 हे0, 524 रकबा 0.16 हे0, व ख0नं0 602 रकबा 0.06 हे0 कुल 0.38 हे0 का दिनांक 02.12.2010 को अप्रार्थी श्री रमेशचन्द आत्मज कालूनाथ जाति नाथ निवासी मुडिया के हक में किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार रामगंजमण्डी आवंटन निरस्तीकरण आदेश का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें एवं राजहित में उक्त भूमि का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर पालना सुनिश्चित करें । निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार रामगंजमण्डी को भेजी जावे ।
6. निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/11/20

(उज्ज्वल राठौड़)

जिला कलेक्टर

कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

